

अध्याय V : इस्पात मंत्रालय

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

5.1 संयुक्त उद्यम में सेल का निवेश

5.1.1 प्रस्तावना

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के ₹ 778.82 करोड़ के कुल निवेश के साथ 31 मार्च 2014 तक 23 संयुक्त उद्यम कंपनियां (जेवीसीज) थीं। 23 जेवीसीज में से, केवल सात¹ पूर्णतः क्रियाशील हैं जिनमें से तीन² नियमित रूप से लाभ अर्जित कर रही हैं। कंपनी के कुल इकिवटी निवेश का उन्नासी प्रतिशत (₹ 614.28 करोड़) केवल दो विद्युत जेवीसीज अर्थात् एनटीपीसी -सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनएसपीसीएल) और बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बीपीएससीएल) में था। नौ जेवीसीज केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयूज) और राज्य सरकार/राज्य स्वामित्व वाली कंपनियों के साथ सहभागिता में बनाई गई। शेष 14 संयुक्त उद्यम 50 प्रतिशत या निजी उद्यमों जिन पर प्रबंधन नियंत्रण भी था, से अधिक की इकिवटी सहभागिता के साथ-साथ बनाये गये थे। चार जेवीसीज³ को समाप्त कर दिया गया। नवम्बर 2013 में कंपनी ने एमओयूज/जेवीसीज में प्रवेश कर अपनी नीति दिशा-निर्देश तैयार किये।

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकना था कि क्या जेवी भागीदारों की चयन प्रक्रिया पारदर्शी, स्पष्ट और कंपनी के हितों के लिए अलाभकारी नहीं थी और जेवीसीज ने उनके निर्माण से कोई अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की है। लेखापरीक्षा जांच में 2007-2013 के दौरान बनाई गई 15⁴ जेवीसीज को कवर किया गया, जिनके रिकॉर्ड कंपनी के पास

¹ एनटीपीसी -सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनएसपीसीएल), बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बीपीएससीएल), एम-जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड, बोकारो जे पी सीमेंट लिमिटेड (बीओजेसीएल), भिलाई जे पी सीमेंट लिमिटेड, सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड और सेल एससीएल केरल लिमिटेड

² एनएसपीसीएल, बीपीएससीएल और एम-जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड

³ नार्थ बंगल डोलोमाईंट लिमिटेड, युईसी-सेल आईटी लिमिटेड, रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड और नार्थ ईस्ट स्टील एंड गेलवेनिसिंग (पी) लिमिटेड

⁴ भिलाई- जे पी सीमेंट लिमिटेड, बोकारो -जे पी सीमेंट लिमिटेड, सेल एससीएल केरल लिमिटेड, एसएंटी माईनिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड, इंटरनेशनल कोल वेंचर लिमिटेड, सेल राईट्स बंगल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, सेल एंड एमओआईएल फैरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, सेल-एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, सेल कोब आयरन इंडिया प्रा. लिमिटेड, सेल -बंगल एलॉय कास्टिंग प्रा. लिमिटेड, एसएएल सेल जेवीसी

उपलब्ध थे। कंपनी के उत्तर पर (जनवरी 2015) इस प्रतिवेदन में समुचित रूप से विचार किया गया।

5.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.1.2.1 जेवीसी दायित्वों के निबंधन और शर्तें सेल के लिए अलाभकारी थी

कंपनी ने दो जेवीसीज⁵ अप्रैल 2007 और मार्च 2008 क्रमशः में एक भिलाई और एक बोकारो में जेपी सीमेंट लिमिटेड (जेसीएल) के साथ स्थापित की जिसका 74 प्रतिशत इक्विटी भाग और प्रबंधन नियंत्रण था। जेवीसीज को सीमेंट बनाने के लिए सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) और बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) में उत्पादित एक गौण उत्पाद स्लैग का प्रयोग करना था। प्रत्येक संयंत्र को पहले 12 महीनों के लिए संबंधित जेवीसीज को 8 लाख टन स्लैग और इसके बाद सीमेंट संयंत्र आरंभ होने के बाद पाँच वर्षों के लिए 10 लाख टन प्रतिवर्ष आपूर्त करना था।

जेवीसीज की स्थापना से पहले, बीएसपी और बीएसएल गिलायी/खुली निविदा द्वारा बाजार भाव पर स्लैग बेच रही थी। समझौते के अंतर्गत, बीएसपी और बीएसएल से जेवीसी को आपूर्त किये जाने वाले स्लैग का आरंभिक विक्रय मूल्य प्रचलित बाजार भाव के आधार पर ₹ 160 और ₹ 312 प्रति टन की परस्पर स्वीकृत दर पर निर्धारित किया गया था। स्लैग का विक्रय मूल्य वार्षिक परिशोधन बाजार पर निर्भर नहीं था परंतु आरबीआई द्वारा जारी सीमेंट सूचकांक में परिवर्तनों से जुड़ा है। यह तालिका - I से देखा जा सकता है कि जेवीसी समझौते से पूर्व और बाद के वर्षों में स्लैग बाजार में अस्थिरता थी। जेवीसीज की स्थापना के बाद, स्लैग का बाजार भाव तेजी से बढ़ा जो जेवीसी से प्रभारित सूचकांकित विक्रय मूल्य की अपेक्षा 2-3 गुणा अधिक था। इसी समय, बीएसपी और बीएसएल ने प्रचलित बाजार भाव पर अन्य विक्रेताओं को अतिरिक्त स्लैग भी बेचा। भिलाई पर निर्भर जेवीसी ने ₹190.27 प्रति टन के आरबीआई सूचकांकित मूल्य पर 8,50,426 टन के अतिरिक्त ₹ 750 प्रति टन पर जेवीसी समझौते के बाहर जाकर बीएसपी से 2013-14 के दौरान 60,642 टन स्लैग खरीदा।

⁵ बोकारो जेपी सीमेंट लिमिटेड (बीओजेसीएल) और भिलाई जेपी सीमेंट लिमि.

तालिका 1: स्लैग आऊटपुट, जेवीसीज और अन्य ब्रेताओं को बेचा गया स्लैग और विक्रय मूल्य

31 मार्च तक समाप्त वर्ष	बोकारो स्टील संयंत्र				भिलाई स्टील संयंत्र			
	कुल उत्पादित स्लैग (टन)	बेचे गये स्लैग की मात्रा (टन)	प्रति टन बेचे गये स्लैग का विक्रय मूल्य ₹	कुल उत्पादित स्लैग (टन))	बेचे गये स्लैग की मात्रा (टन)	प्रति टन बेचे गये स्लैग का विक्रय मूल्य ₹		
		अन्य विक्रेता	जेवीसी		जेवी सी	अन्य विक्रेता	जेवीसी	जेवीसी
2006	732765	724351	-	244-351	1363871	1637900	-	-
2007	711471	642050	-	256-369	1345160	1563911	-	-
2008	791497	746165	-	275-305	1601651	1561210	-	-
2009	756046	760718	-	275-305	1571425	1682978	-	-
2010	819380	808517	-	320-705	1708756	1649163	3551	160
2011	693758	669598	-	500-758	1761920	1324674	416386	160.00
2012	592361	309275	244961	336.65	517-768	1696888	896589	835509
2013	660705	21028	690004	351.04	1220	1693352	961378	850330
2014	915708	3,670	834193	444.24	1220	1736283	706626	850426
							190.27	750-800

बीएसएल के लिए जुलाई 2009 से और बीएसपी हेतु दिसम्बर 2009 से निर्धारित विक्रय मूल्य 5 वर्षों के बाद विशेष शर्तों की पूर्ति के अन्तर्गत परिशोधित किये जाने थे जो कंपनी के स्वयं निर्धारण के अनुसार बीओजेसीएल के मामले में संभवतः पूरा नहीं किया गया। 2006-07 में निर्धारित आरंभिक विक्रय मूल्य जेवीसीज को स्लैग के विक्रय पर सेल को काफी हानि के बावजूद कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इस प्रकार, अलाभकारी स्थानांतरण मूल्य निबंधन के परिणामस्वरूप वर्ष 2013-14 तक कंपनी को ₹ 156.58 * करोड़ की हानि हुई।

कंपनी ने कहा (जनवरी 2015) कि दोनों संयंत्रों में जेवीसी भागीदार खुली निविदा द्वारा चुने गये थे, और उच्चतम प्रीमियम प्रस्तुत किया गया, प्रबन्धन द्वारा निर्धारित आरंभिक विक्रय मूल्य और बाद में किये गये परिशोधन निविदा दस्तावेजों में शामिल थे; स्लैग के विक्रय मूल्य में अस्थिरता थी और स्लैग के बाजार भाव का अंदाजा लगाना कठिन था, आरबीआई/आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी सीमेंट सूचकांक पर आधारित मूल्य विभिन्नता खंड एक मानक खंड है जो खुली निविदा के अंतर्गत उपभोक्ताओं को आपूर्त किये जा रहे स्लैग मूल्यों के परिशोधन के लिए सेल संयंत्रों द्वारा संचालित है, और नवम्बर 2014 में सेल; और जेएएल ने बीओजेसीएल का अपना कुल इक्विटी भाग अन्य कंपनी को बेच दिया।

* जेवीसीज से प्रभारित सूचित विक्रय मूल्य (लिया गया भारित औसत) आरबीआई/आर्थिक सलाहकार की अपेक्षा अन्य विक्रेताओं से प्रभारित बाजार चालित विक्रय मूल्य (लिया गया भारित औसत) की अधिकता से गुणित जेवीसीज को बेचा गया स्लैग

उत्तर को अग्रलिखित तथ्यों के प्रति देखा जाना आवश्यक है:

जेवीसी स्थापना के प्रारंभ में बनाया गया या बाद में दो सत्वों के बीच करार में कोई वाणिज्यिक पारिभाषिक शब्द नहीं होने चाहिए जिसमें आज्मर्स लैंथ लेन-देन का सिंद्धांत शामिल न हो। स्लैग का स्थानांतरण मूल्य वही होना चाहिए जिस पर दो कंपनियां स्वतंत्र रूप से शामिल थीं। इस प्रकार, स्लैग का विक्रय मूल्य बाजार गतिशीलता पर छोड़ देना चाहिए। जेवीसीज के अतिरिक्त उपभोक्ता को खुली निविदा के अंतर्गत स्लैग की आपूर्ति के लिए एमओयू अपेक्षाकृत कम मात्रा और थोड़े समय के लिए था। बीओजेसीएल ने जुलाई 2011 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया। 2012-13 और 2013-14 के दौरान, बीओजेसीएल ने अधिकतम स्लैग बीएसएल से खरीदा और बीएसएल (बाजार भाव की तुलना में) द्वारा स्लैग को 2-3 गुणा कम भाव पर प्रभारित किया गया, जिससे जेसीएल ने न केवल ₹ 136 करोड़ और ₹ 30.62 करोड़ का निवल लाभ प्राप्त किया बल्कि इसका इक्विटी पूंजीकरण भी ₹ 133.65 करोड़ से ₹ 892.78 करोड़ तक बढ़ गया हालांकि उच्च पूंजीकरण से जेसीएल को ₹ 561.76¹ करोड़ का लाभ प्राप्त किया, सेल अपने विक्रय की 26 प्रतिशत इक्विटी पर ₹ 197.37² करोड़ का लाभ प्राप्त कर पाई।

5.1.2.2 संयुक्त उद्यम कंपनियों का निष्पादन

31 जनवरी 2015 तक, 12 जेवीसीज³ ने ₹ 42.77 करोड़ की इक्विटी सहभागिता के साथ अपने वाणिज्यिक संचालन आरंभ नहीं किये। जेवीसी स्थापना के अभिप्रेत संचालनात्मक उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए। जेवीसी भागीदारों के बीच प्रतिबद्धता का अभाव था, जेवीसीज को वित्तीय सहयोग और माल/सेवाओं के प्रावधानों के लिए वाणिज्यिक निबंधन स्थापना पूर्व स्पष्ट रूप से नहीं बनाये गये थे। इन जेवीसीज की वर्तमान स्थिति नीचे इस प्रकार दर्शाई गई है:

¹ 74 प्रतिशत इक्विटी के प्रति किया गया योगदान ₹98.90 करोड़ पर इक्विटी शेयरों (₹660.66 करोड़) का अधिक विक्रय मूल्य

² 26 प्रतिशत इक्विटी के प्रति किया गया योगदान ₹34.75 करोड़ से अधिक (₹232.12 करोड़) का अधिक विक्रय मूल्य

³ एसएंडटी माइनिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड, इंटरनेशनल कोल वैंचर लिमिटेड, सेल राईट्स बंगाल वैगन इंस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, सेल एंड एमओआईएल फैरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, सेल कोब आयरन इंडिया प्रा. लिमिटेड, सेल बंगाल एलॉय कास्टिंग प्रा. लिमिटेड, एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड, टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड, अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड, वीएसएल-सेल जेवीसी लिमिटेड और एसपीयू जेवी प्राईम गोल्ड सेल जेवीसी लिमिटेड

(क) इंटरनेशनल कोल वैंचर लिमिटेड (आईसीवीएल)

आईसीवीएल को सेल, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनएमडीसी लिमिटेड (एनएमडीसी) और एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी) के साथ मई 2009 में जेवी भागीदार स्थापित किया गया था ताकि वे विदेशों से धातु कर्म कोयले और थर्मल कोयला परिसंपत्ति को खरीद सके। मुख्यतः सेल द्वारा नामित कार्यकारियों द्वारा अधिशासित आईसीवीएल संचालन के आरंभिक पाँच वर्षों में कोई विदेशी कोयला परिसंपत्ति प्राप्त नहीं कर पाई। आईसीवीएल को 2011-12 तक सेल और आरआईएनएल के 2019-20 के लिए आवश्यकताओं का 10 प्रतिशत की सीमा तक धातु कर्मीय कोयले की आपूर्ति अपने विदेशी परिसंपत्तियों से करने का अंदाजा था। आईसीवीएल का लक्ष्य जुलाई 2014 तक भी केवल पेपर तक ही सीमित था जब इसने रियो टिंटो कोल मोजांबिक की कोयला परिसंपत्ति को लिया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पाँच जेवीसी भागीदार, सीआईएल और एनटीपीसी ने विदेशी अधिग्रहण में कोई रुचि नहीं दिखाई क्योंकि उनकी प्राथमिकता थर्मल कोयला था और न कि धातु कर्मीय कोयला। परिणामस्वरूप आईसीवीएल को सेल का वित्तीय सहयोग 30 सितम्बर 2014 तक सहमत 28.6 प्रतिशत से अनुपात हीन रूप से 49.43 प्रतिशत (₹ 182 करोड़) तक बढ़ गया। इसके अतिरिक्त, सेल ने आईसीवीएल में ₹ 1,000 करोड़ के इक्विटी निवेश को अनुमोदन (जुलाई 2014) दे दिया।

कम्पनी ने कहा कि (i) वाणिज्यिक विवेक के मामले के रूप में, उसने 2014 से पहले विदेशी कोयला परिसंपत्तियां नहीं खरीदी क्योंकि धातु कर्मीय कोयले का मूल्य 2009 से 2015 के दौरान काफी अधिक था; (ii) आईसीवीएल ने जुलाई 2014 में पहली बार कोयला परिसंपत्तियों अर्थात रियो टिंटो कोल मोजांबिक अधिग्रहीत किया; और (iii) आईसीवीएल पुनर्संरचना के लिए एक प्रस्ताव इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन था जिसमें सीआईएल और एनटीपीसी शामिल नहीं थी।

उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के प्रति देखा जाना आवश्यक है:-

- (i) जेवीसी ने 2010-14 के दौरान आस्ट्रेलिया और मोजांबिक में कोयला परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु बोली प्रक्रिया में भाग लिया। बोलियों को अंतिम रूप नहीं दिया गया क्योंकि परियोजना अवनत बाजार स्थिति के कारण विक्रेता द्वारा रोक दी गई थी; जेवीसी कोकिंग कोयले के भावों में तीव्र गिरावट को देखते हुए बोली प्रक्रिया से पीछे हट गई; और जेवीसी बोली प्रक्रिया में अत्यधिक कीमत ले रही थी,
- (ii) विलम्बित अधिग्रहण के कारण, संभावित लाभ प्राप्त नहीं किये गये थे, और

(iii) दो भागीदारों के अलग होने से जेवी में कंपनी का वित्तीय जोखिम बढ़ गया।

(ख) एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड (एसएसपीएल)

शिपिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के साथ भागीदारी में एक जेवीसी (मई 2010) की स्थापना के लिए कंपनी का नीयत लक्ष्य अपने संयंत्रों के लिए आयातित कोकिंग कोयले की शिपिंग के लिए जहाजों को अधिग्रहीत करना था जिसे स्थापना के 4 वर्षों के बाद भी प्राप्त नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि जहाज के अधिग्रहण पर निर्णय लंबित था क्योंकि एससीआई ऋण उठाने के लिए जेवीसी को कार्पोरेट गारंटी प्रदान करने की स्थिति में नहीं थी और भारत में 'केपसाईज' जहाजों से कार्गो की बर्थिंग /निस्सरण के लिए अवसंरचना पर एक अध्ययन अपेक्षित था। वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों, आधारभूत आवश्यकताओं और ऋण प्रबंधनों के संबंध में समुचित प्रबंधन भी एससीआई के साथ अग्रिम रूप से निश्चित नहीं किये गये थे। जेवीसी जहाजों के किरायेदार सेल ने कहा कि एससीआई द्वारा प्रस्तावित 'कॉस्ट प्लस' प्रबंधन स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दरें प्रचलित बाजार भाव की अपेक्षा अधिक होंगी। उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जा सकता है कि बाजार परिस्थितियां वैसी थीं जैसी जेवीसी की स्थापना के समय पर थीं और कंपनी को जेवी मोड में प्रवेश करने से पहले वित्तीय पहलुओं पर विचार करना चाहिए था।

(ग) सेल और एमओआईएल फैरो एलांयज (प्रा.) लिमिटेड (एसएमएफएएल)

कंपनी ने अपने इस्पात संयंत्रों में अबद्ध उपयोग के लिए फैरो मैग्नीज (एफई -एमएन) और सिलिका मैग्नीज (एसआई-एमएन) के उत्पादन के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक सीपीएसयू अर्थात मैग्नीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (एमओआईएल) के साथ एक जेवीसी की स्थापना (जुलाई 2008) की। पूँजी की लागत ₹ 365 करोड़ थी और परियोजना को 22 महीनों में पूरा किया जाना था। हालांकि, कंपनी अपनी आवश्यकताएं बदलती रही। प्रारंभिक संयंत्र विन्यास में एसआई-एमएन के लिए 2x27 एमवीए और एफई-एमएन के लिए 1x16.5 एमवीए की भट्ठियां शामिल थीं। एल -1 निविदा को अंतिम रूप दिये जाने के बाद, कम्पनी ने जेवीसी को केवल 2 x 45 एमवीए की एसआई-एमएन भट्ठियां बनाने के लिए कहा (अगस्त 2012) जिसका अनुकरण नहीं किया गया। सेल और आरआईएनएल की एसआई-एमएन आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 3x45 एमवीए भट्ठियां बनाने के लिए एसएमएफएएल और आरआईएनएल-एमओआईएल (आरआईएनएल के साथ एमओआईएल की अन्य जेवीसी) के विलय के लिए ईस्पात मंत्रालय का प्रस्ताव (अक्तूबर 2013) भी विद्युत की प्रचलित लागत के कारण व्यवहार्य

नहीं था और पीपीपी मोड में अबद्ध विद्युत संयंत्र हेतु एक प्रस्ताव जेवीसी के विचाराधीन था। इस प्रकार, 2008 में स्थापित एक जेवीसी सेल को एसआई-एमएन का सीमित आपूर्तिकर्ता बनने के नियत उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही। कंपनी का उत्तर कि वह केवल जेवीसी द्वारा प्रस्तावित फैरो एलॉय का भाव बाजार भाव से कम होने की स्थिति में ही खरीद सकती थी और यह इसकी बढ़ाई गई आवश्यकता को पूरा करने के लिए एसआई-एमएन के उत्पादन के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रही थी, यह दर्शाता है कि निकट भविष्य में जेवीसी अपने संचालन प्रारंभ नहीं कर सकती है।

(घ) एस एंड टी माइनिंग कंपनी

कंपनी ने कोयला खनन में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए 50:50 इक्विटी सहभागिता के साथ सितम्बर 2008 में टाटा स्टील के साथ एक संयुक्त उद्यम (एस एंड टी माइनिंग कंपनी) स्थापित किया। जेवीसी जिसे 20 लाख टन प्रति वर्ष साफ कोयला उत्पादित करने के लिए आधुनिक वॉशरी के साथ 50 लाख टन प्रति वर्ष खनन करना था; में प्रवेश करने से पहले परियोजनाओं की उपयुक्तता के आकलन के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया। कच्चा माल उपलब्धता को सुरक्षित रखने का प्राथमिक उद्देश्य खत्म करते हुए ₹ 25.88 करोड़ के निवेश के छ: वर्षों के बाद भी जेवीसी द्वारा कोई कोकिंग कोयला ब्लाक स्थापित नहीं किया गया। प्रारंभ में जेवीसी अबद्ध उपयोग के लिए केन्द्रीय कोलफिल्ड लिमिटेड के मध्यम कोकिंग कोल ब्लॉक विकसित करना चाहती थी परंतु सफल नहीं हो सकी। बाद में इसने कोकिंग कोयले के 6.83 मिलियन टन रिजर्व वाली 40 वर्ष पुरानी भूटगोरीया कोयला खानों को पुनः चलाने के लिए भारत कोकिंग कोयले के साथ समझौता किया जो नवंबर 2010 तक भी आरंभ नहीं हुआ। जेवीसी को 2008-09 से 2013-14 के दौरान ₹ 13.41 करोड़ की राशि की हानि उठानी पड़ी और तब से कंपनी के निवेश का 52 प्रतिशत पूर्णतः समाप्त हो गया।

(इ) निजी उपकरणों के साथ जेवीसी के रूप में स्थापित इस्पात प्रकरण इकाईयां (एसपीयूज)

कंपनी ने निजी उपकरणों और प्रबंधन नियंत्रण के 74 प्रतिशत इक्विटी भाग के साथ जेवी मोड में 5 एसपीयूज स्थापित करने का निर्णय लिया। प्रत्येक एसपीयू को अर्धनिर्मित इस्पात (बिलैट्स) को एक लाख टीएमटी बार/राठंड प्रतिवर्ष में परिवर्तित करना था। तालिका 2 में इन 5 सीपीयूज में सेल का वित्तीय खुलासा दर्शाया गया है:-

तालिका 2: 31 दिसम्बर 2014 तक 5 सीपीयूज को सेल का वित्तीय खुलासा

(इकाई: ₹ लाख में)

संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	जेवी भागीदार	स्थापना की तिथि	इक्विटी सहसभागिता (प्रतिशत)	कुल निवेश	वर्तमान वित्तीय खुलासा (प्रतिशत)*
एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड (लखीमपुर)	सेल	फरवरी 2012	26	79.30	96
	एसएएल		74	3.70	4
वीएसएल-सेल जेवीसी लिमिटेड (उज्जैन)	सेल	अक्टूबर 2012	26	27.18	35
	वीएसएल		74	49.45	65
प्राईम गोल्ड सेल जेवीसी लिमि. (ग्वालियर)	सेल	दिसम्बर 2012	26	260.00	26
	पीजीआई		74	740.00	74
टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड (बाराबंकी)	सेल	फरवरी 2012	26	1.30	26
	एसएएल		74	3.70	74
अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड (होशंगाबाद)	सेल	मई 2012	26	56.00	100
	अभिनव		74	निरंक	0

*इक्विटी के प्रति भूमि की लागत और अग्रिम के प्रति सहयोग सहित

हालांकि स्थापना से पहले चार जेवीसीज¹ के लिए कंपनी द्वारा जमीन का प्रबन्ध किया गया था, तीन जेवीसीज² ने संयंत्र अधिग्रहण गतिविधियां भी आरंभ नहीं की थी। अन्य स्थानों की अपेक्षा बाराबंकी के चयन का कारण रिकॉर्ड में नहीं पाया गया और स्थापना के बाद जेवीसी ने कोई प्रगति नहीं की।

(i) जेवीसी स्थापना में निम्नलिखित अयोग्यताएं देखी गईः

- जेवीसी भागीदारों ने सहमत अनुपात में इक्विटी पूँजी में सहयोग नहीं किया। जैसाकि तालिका 2 में देखा जा सकता था, तीन जेवीसीज में कंपनी का वित्तीय खुलासा सहमत इक्विटी भागीदारी अनुपात की अपेक्षा काफी अधिक था। कंपनी

¹ एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड (लखीमपुर), वीएसएल-सेल जेवीसी लिमिटेड (उज्जैन), प्राईम गोल्ड सेल जेवीसी लिमिटेड (ग्वालियर) और अभिनव -सेल जेवीसी लिमि. (होशंगाबाद)

² एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड (लखीमपुर), वीएसएल-सेल जेवीसी लिमिटेड (उज्जैन), और अभिनव -सेल जेवीसी लिमि. (होशंगाबाद)

को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि निजी उपक्रमों को सहमत अनुपात पर सदृश निधीयन/परिसंपत्तियां लानी चाहिए;

- शेयरधारकों के समझौते के अनुसार, जेवीसीज को समय माप विस्तृत परियोजना लागत अनुमान, वित्तीय अनुमान और शेयरधारकों से वित्त की योजना और पूँजीगत सहयोग का समय दर्शाते हुए स्थापना के 60 दिनों के अंदर एक व्यापार योजना तैयार और स्वीकार करनी थी। हालांकि, यह उनकी स्थापना के 2 वर्षों के बाद तक भी नहीं किया गया;
- कंपनी ने ऊर्जैन के लिए एक जेवी भागीदार के रूप में मै. वीएसएल का चयन किया जो अन्य संविदा के अंतर्गत टीएमटी में परिवर्तन के लिए 'सेमीज' को सौंपने में दुरविनियोजन शामिल था जिसमें ₹ 8.51 करोड़ वसूल किये जाने शेष थे। मामला अभी भी अभियोग के अंतर्गत है जो जेवी भागीदार के चयन की प्रक्रिया पर प्रश्न उठाता है।

5.1.2.3 निगरानी तंत्र और कार्पोरेट शासन मामले

नीतिगत संबंधन और संयुक्त उद्यमों पर सेल बोर्ड उप-समिति प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और निष्पादन पर निगरानी रखने के लिए गठित की गई थी। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्य जेवीसीज के बोर्ड में थे। 2007 से 2014 के दौरान, सेल बोर्ड ने जेवीसीज का निष्पादन केवल दो बार अर्थात् अगस्त 2012 और जून 2014 में ही किया। उपयुक्त प्रबंधन संरचना के बावजूद जेवीसीज के मामलों पर कोई प्रभावी निगरानी नहीं रखी गई थी और भागीदारी का जेवी मोड सफल नहीं हुआ। 23 स्थापित जेवीसीज में से केवल सात ही क्रियाशील थीं, 12 वाणिज्यिक संचालन आरंभ नहीं कर पाईं और चार को बंद कर दिया गया।

निष्कर्ष

- बीओजेसीएल और बीजेसीएल को स्थानांतरित स्लैग का वार्षिक मूल्य परिशोधन सूत्र सेल के लिए लाभप्रद नहीं था क्योंकि यह बाजार से प्रभावित नहीं था।
- ₹ 42.77 करोड़ के निवेश सहित 12 जेवीसीज ने वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ नहीं किया।
- सीआईएल और एनटीपीसी को हटाने के कारण हुए पुनर्गठन के बाद आईसीबीएल में सेल के वित्तीय जोखिम में वृद्धि होगी।

- एसएंडटी माइनिंग कंपनी में सेल के निवेश के 52 प्रतिशत से अधिक को समाप्त कर दिया।
- उपयुक्त प्रबन्धन संरचना के बावजूद, जेवीसीज के मामलों पर कोई प्रभावी निगरानी नहीं रखी गई थी।

जनवरी 2015 में मामला मंत्रालय को सूचित किया, उनका उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2015) था।

5.2 कोक ओवन बैटरीज का निष्पादन

5.2.1 प्रस्तावना

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल या कंपनी) के अपने पाँच एकीकृत इस्पात संयंत्रों¹ में मार्च 2014 तक 33 कोक ओवन बैटरीज (सीओबीज या बैट्री) थी। सीओबीज का मुख्य कार्य कोक को कोयले में परिवर्तित करना है जिसे प्राथमिक ईंधन और गर्म धातु के उत्पादन के लिए ब्लास्ट भट्ठी (बीएफ) में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। सीओबी में कोयले के कार्बनीकरण प्रक्रिया के कुछ उत्पाद (क) 'कोक ओवन गैस' (सीओ गैस) जिसका एक उच्च क्लोरोफिक मूल्य होता है और गर्म करने के उद्देश्यों के लिए बीएफएस और रॉलिंग मिल्स² जैसी उत्पादन दुकानों में एक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, (ख) कोयला रसायन जैसे अमोनियम सल्फेट, कुड टार और कुड बैंजोल जो कुछ प्रक्रिया के बाद बाजार में विक्रय योग्य हैं। इसलिए, सीओबीज का कुशल निष्पादन अव्याप्ति संयंत्रों में इस्पात बनाने में महत्वपूर्ण है।

प्रत्येक बैटरी औसत 60-90 ओवन्स³ के साथ फिट की गई है। किसी बैटरी का उत्पादन निष्पादन संस्थापित ओवनों की तुलना में संचालन के लिए उपलब्ध ओवनों की संख्या के साथ-साथ मानक नियमों के प्रति वास्तविक कोकिंग अवधि⁴ और वास्तविक ओवन

¹ भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) राऊकेला स्टील प्लांट (आरएसपी), दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी), इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी)

² रॉलिंग मिल वे इकाईयां हैं जहाँ तैयार इस्पात उत्पादित किया जाता है।

³ विभिन्न संयंत्रों में सीओबीज में संस्थापित ओवनों की संख्या अलग -अलग है जैसे बीएसपी में 10 सीओबीज में से 8 सीओबीज में 65 ओवन और 9वीं और 10वीं सीओबी में 67 ओवन, बीएसएल की 8 सीओबीज में 69 ओवन, डीएसपी की 5 सीओबीज में 78 ओवन, आरएसपी में 6 सीओबीज में से बैटरी 1 से 3 में 70 ओवन जबकि 5 बैटरी में 80 ओवन और बैटरी 6 में 67 ओवन और आईएसपी में 3 बैटरियों में 78 ओवन और 1 बैटरी में 74 ओवन।

⁴ सीओबी द्वारा कोयले का कोक में बदलने की अवधि कोकिंग समय कहलाता है।

पुशिंग⁵ की अवधि पर निर्भर करता है। कुछ ओवन खराब हालत में थे और अन्य किसी मरम्मत में होने के कारण कार्य नहीं कर रहे थे। इसलिए संस्थापित ओवनों की सं. की अपेक्षा उपलब्ध ओवन की संख्या कम थी। सीओबीज की खराब स्थिति के कारण कम ओवन पुशिंग ने बीएफ कोक के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डाला जिसने गर्म धातु उत्पादकता का प्रभावित किया।

लेखापरीक्षा ने 2009-10 से 2012-13 की अवधि को कवर करते हुए पाँच एकीकृत इस्पात संयंत्रों में पुनर्निर्मित बैटरियों (2007 से 2012) के निष्पादन सहित सीओबीज के निष्पान का कंपनी द्वारा लागू उपयुक्तता मरम्मत की प्रभावशीलता और रख-रखाव उपायों का आकलन किया और 31 मार्च 2014 तक की स्थिति को अद्यतित किया। क्रमशः: फरवरी 2013 और मार्च 2014 में प्राप्त कंपनी/मंत्रालय के उत्तरों को उचित रूप से सम्मिलित किया गया।

5.2.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.2.2.1 सीओबीज का उत्पादन निष्पादन

कंपनी के कोक निर्माण पर विशेषज्ञ समिति (ईसीसीएम) ने प्रतिदिन ओवन पुशिंग की संख्या, कोक ओवन गैस उत्पादन और अन्य उप-उत्पादों, ऊर्जा खपत आदि के लिए वार्षिक रूप से नियम निर्धारित किये। इस आकलन के आधार पर, बीएफ कोक के उत्पादन हेतु वार्षिक योजना तैयार की जाती है। कंपनी 8.708 मिलियन टन (एमटी) के निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई और 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान बीएफ कोक की 3.320 एमटी की कमी हो गई।

कोक के कम उत्पादन के कारणों का लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया और यह देखा गया कि उत्पादन कम ओवन पुशिंग के कारण घटा था। पाँच एकीकृत इस्पात संयंत्रों में प्रतिदिन वास्तविक ओवन पुशिंगों के एपीपी में निर्धारित नियम इस प्रकार थे:

⁵ कोक ओवनों से कोक हटाने की प्रक्रिया ओवन-पुशिंग कहलाती है।

तालिका 1
आयोजित बनाम वास्तविक ओवन पुशिंग

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आयोजित	2023	2081	2082	1858	1870
वास्तविक	1963	2032	1869	1759	1855

यह देखा गया कि संबंधित संयंत्र प्रबंधनों द्वारा निर्णित ओवन पुशिंगों हेतु लक्ष्यों को सीओबीज की संचालन स्थिति में गिरावट आने के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके कारण 2.125 एमटी बीएफ कोक के उत्पादन की हानि हुई। सीओबीज की स्थिति में गिरावट नियमित और समयबद्ध मरम्मत और रख-रखाव में विलम्ब के कारण आई थी (पैरा 2.2)।

पाँच एकीकृत इस्पात संयंत्रों में संस्थापित 33 सीओबीज¹ में से 26 सीओबीज दो नई² सीओबीज सहित 31 मार्च 2014 तक कार्यशील थीं, दो सीओबीज पुनर्निर्माण (बीएसएल#7, और आरएसपी#3) के अंतर्गत थीं, तीन सीओबीज कोल्ड³ मरम्मत (बीएसपी #9, बीएसएल #3, और आईएसपी #8) के अंतर्गत थीं, एक सीओबी हॉट⁴ मरम्मत (डीएसपी#1) के अंतर्गत थी और एक सीओबी बंद (आईएसपी #9) थी। तालिका 2 दर्शाती है कि संचालित 26 सीजोबीज में से 7 1/2 (29 प्रतिशत), 8 1/2 (33 प्रतिशत) और 9 1/2 (37 प्रतिशत) सीओबीज क्रमशः 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में अपनी प्रभावी क्षमता⁵ के अनुसार निष्पादन नहीं कर रही थी।

¹ 2013 में आरएसपी और आईएसपी में संस्थापित

² जब ओवन काम्पलैक्स के लगभग सभी क्षेत्रों में नुकसान की सीमा इतनी बढ़ जाती है कि और मरम्मत की कोई सीमा सीओबी को चालू नहीं रख सकती, तब पुनः निर्माण योजनाओं को चालू किया जाता है।

³ कोल्ड मरम्मत ओवनों को ठंडा करके की जाती है और तब की जाती है जब हॉट मरम्मत करना संभव नहीं होती और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता बैटरी पुनर्निर्माण की अपेक्षा कोल्ड मरम्मत के पक्ष में होती है।

⁴ हॉट मरम्मत बैटरी के शेष भाग में कोक उत्पादन का रख-रखाव करते हुए कार्ययोग्य सीमाओं के अंदर रहकर बैटरी आयामोंको सम्मिलित करने के लिए हॉट अवस्था के अंदर की जाती है।

⁵ किसी सीओबी की प्रभावी क्षमता मानक नियमों, जो कि बैटरियों की वास्तविक स्थितिको ध्यान में रखकर संयंत्र प्रबंधन द्वारा निर्धारित किये गये हैं, के प्रति संचालन हेतु उपलब्ध कोक ओवनों की तुलना में स्थापित ओवनों के साथ-साथ वास्तविक कोकिंग समय और वास्तविक ओवन पुशिंगों द्वारा मापी जाती है।

तालिका 2

2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान बीएसपी, बीएसएल, डीएसपी और आईएसपी में
सीओबीज का प्रभावहीन निष्पादन

संयंत्र	2011-12				2012-13				2013-14			
	बीएसपी	बीएसएल	डीएसपी	आईएसपी	बीएसपी	बीएसएल	डीएसपी	आईएसपी	बीएसपी	बीएसएल	डीएसपी	आईएसपी
(क) उपलब्ध ओवनों की तुलना में संस्थापित ओवनों की स्थिति												
बैटरी कम सं.	1	7	10	3	7	1	4	9A	7	10	3	5
संस्थापित ओवन	65	65	67	69	69	78	78	39	65	67	69	69
औसत उपलब्ध ओवन	58	29	38	54	50	58	40	37	44	45	35	57
(ख) औसत ⁶ वास्तविक कोकिंग समय की तुलना में निर्धारित प्रतिमान												
कोकिंग समय के लिए नियम	18	18	18	25	22	20	20	23	18	18	25	19
औसत वास्तविक कोकिंग समय	22	24	18	23	23	21	20	23	22	19	25	22
(ग) औसत ⁶ वास्तविक ओवन पुशिंग की तुलना में निर्धारित प्रतिमान												
प्रतिदिन पुशिंग हेतु नियम	87	87	89	46	74	85	61	40	87	89	36	85
औसत वास्तविक ओवन पुशिंग	65	30	51	52	45	67	48	38	48	57	34	58

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, बीएसपी, बीएसएल, डीएसपी और आईएसपी स्थापित ओवनों की संख्या की तुलना में संचालन हेतु उपलब्ध ओवन काफी कम हैं। कोकिंग समय अधिक और/या ओवन पुशिंग प्रत्याशित प्रतिमान से कम होने के कारण बैटरियों का कम उत्पादन निष्पादन किया गया।

5.2.2.2 सीओबीज की मरम्मत और रख-रखाव में विलम्ब

सीओबीज को उनके संचालनों के 20-25 वर्षों के बाद पुनः निर्मित किया जाता है। नई या पुनः निर्मित सीओबीज का औसत सामान्य जीवन लगभग 20-25 वर्ष है जिसे बैटरी अवस्था के अनुसार एक प्रभावी रख-रखाव पद्धति, हॉट मरम्मतों या कोल्ड मरम्मतों द्वारा 30-35 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 14 सीओबीज अपनी स्थापना या पिछले पुनः निर्माण से 20-42 वर्ष पुरानी थीं।

⁶ औसत के छ: महीनों या अधिक के लिए संचालित बैटरियां गणना के लिए तालिका 1 में शामिल की गई हैं।

खराब निष्पादन दे रही सीओबीज की पूंजीगत मरम्मत करने में विलम्ब हो रहा था। कंपनी ने योजना के अनुसार सीओबीज का रख-रखाव नहीं किया क्योंकि उपलब्ध सीओबीज की संख्या कोक के योजनाबद्ध उत्पादन के लिए पर्याप्त नहीं थी। परिणामस्वरूप, उनका निष्पादन खराब हो रहा था व अन्य कार्यशील सीओबीज की स्थिति को भी प्रभावित कर रहा था। पुनर्निर्माण/मरम्मत योजनाओं की संयंत्र वार स्थिति और उनके कार्यान्वयन में विलम्ब इस प्रकार नीचे दर्शाया गया है:

(क) बीएसपी, भिलाई

सीओबी # 5	1965 में स्थापित, 1998 में इसने उत्पादन बंद कर दिया, बोर्ड ने 2004 में पुनःनिर्माण के लिए अनुमोदन किया। हालांकि निर्धारित समाप्ति जनवरी 2007 में थी, बैटरी को 32 महीनों के विलम्ब के बाद अगस्त 2009 में आरंभ किया गया। आधारभूत और विस्तृत अभियांत्रिकी, उपस्करों की आपूर्ति और संकाय भागीदारों के बीच सहयोग की कमी के कारण विलम्ब हुआ।
सीओबी # 6	1966 में स्थापित, अक्टूबर 1994 में इसने उत्पादन बंद कर दिया। बोर्ड ने 14 वर्षों के बाद पुनःनिर्माण (जुलाई 2008) के लिए अनुमोदन किया। यद्यपि निर्धारित समाप्ति मार्च 2010 में थी, बैटरी को 15 महीनों के विलम्ब के बाद जून 2011 में पूरा किया गया। फायर क्ले, सिलिका ईटों और उपस्कर की विलम्ब आपूर्ति और नामंजूरी के कारण विलम्ब हुआ।
सीओबी # 9	इसे 1998 में आरंभ किया गया और बैटरी की हॉट काम्पलैक्स मरम्मत 1999-2002 के दौरान की गई। हॉट काम्पलैक्स मरम्मत के बाद बैटरी का संभावित जीवन लगभग 6-7 वर्ष है। विस्तृत परियोजना व्यवहार्यता प्रतिवेदन (सीपीएफआर) के अनुसार सीओबी-9 का 2008-09 से 2010-2011 की अवधि में पुनःनिर्माण किया जाना था लेकिन पुनर्निर्माण को कोक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्थगित किया गया। परिणामतः, आगे भी इस बैटरी की हालत में गिरावट आई और इसे अप्रैल 2011 में बंद कर दिया गया। कंपनी ने 15 महीनों की छूक के बाद जुलाई 2012 में कोल्ड मरम्मतों के लिए अनुमोदन दिया।

सीओबी-5 और 6 के पुनर्निर्माण में असामान्य विलम्ब का अन्य संचालित बैटरियों की हालत और निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण कोक की उपलब्धता कम हुई। अक्टूबर 2004 में योजनाबद्ध सीओबी-1 का पुनर्निर्माण नहीं किया गया। सीओबी-4 (2006-07 के लिए योजनाबद्ध) की कोल्ड मरम्मत स्थगित कर दी गई। अपेक्षित मरम्मतों के बिना सीओबी-7, सीओबी-8, सीओबी-9 और सीओबी-10 के दीर्घकालीन उपयोग के कारण उनकी हालत काफी हद तक खराब हो गई और परिणामस्वरूप खराब बैटरियों का समूह बन गया।

(ख) बीएसएल, बोकारो

सीओबी # 5	बोर्ड ने पहले पुनर्निर्माण हेतु 1997 में सिद्धांततः अनुमोदन दिया। यद्यपि, अवनत बाजार परिस्थितियों के कारण, निविदा 2002 तक 5 वर्षों के लिए विलम्बित हो गई। इसके बाद निविदाएं उच्चतर मूल्यों के कारण रद्द कर दी गई थीं। आगे भी 2 वर्षों के विलम्ब के बाद, नया सिद्धांततः अनुमोदन मई 2004 में दिया गया। बैटरी सितम्बर 2007 से पहले, अर्थात् पुनः निर्माण के लिए पहचाने जाने के 10 वर्षों के बाद भी आरंभ नहीं की जा सकी।
सीओबीज # 1 और # 2	ठेकेदार को साईट को देरी से सौंपने, ड्राइंग्स के प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन ओवन मशीनों और रिफैक्टरी ईटों की आपूर्ति और रिफैक्टरी निर्माण कार्य के आरंभ में विलंब जैसे कारणों के कारण सीओबी-1 और सीओबी-2 के पुनर्निर्माण में 16 और 24 महीनों का विलम्ब देखा गया।
सीओबी # 3	यह 13 वर्ष पुरानी थी जब से इसे पिछली बार पुनः निर्मित किया गया था और ओवन पुशिंगों की संख्या अपनी संचालनात्मक हालत में गिरावट के कारण कम हो रही थी। इसकी दिसम्बर 2013 से पहले कोल्ड मरम्मत नहीं की गई थी।
सीओबी # 6 और # 8	सीओबी-6 और सीओबी-8 अपने प्रारंभ होने से क्रमशः 32 और 21 वर्ष पुरानी थीं और पुनर्निर्माण/मरम्मत के अभाव में दोनों बैटरियों की हालत खराब हो गई थीं।

(ग) डीएसपी, दुर्गापुर

सीओबी # 1 और # 4	संचालनात्मक बैटरियों की संख्या कम होने की दलील पर उनके पिछले पुनः निर्माण से 20 वर्षों से अधिक की चूक हुई। सीओबी 1 (2003) और सीओबी 4 (2001) की कोल्ड मरम्मत उनके निष्पादन में सुधार नहीं कर पाई। परियोजना व्यवहार्यता प्रतिवेदन (2007) के अनुसार, सीओबी 1 और 4 क्रमशः 2011-13 और 2008-11 के दौरान पुनः निर्मित किये जाने थे। पुनर्निर्माण के स्थान पर, केवल सीओबी-1 को हॉट मरम्मतों (दिसम्बर 2013) के लिए रखा गया था।
सीओबीज # 2, # 5 और # 4	तीन सीओबीज (2, 5 और 4) जो 2011 तक पूरी की जानी थी, के लिए डीएसपी ने पुनर्निर्माण योजना तैयार की। परंतु आरंभिक रूप से केवल एक बैटरी (सीओबी-2) का पुनर्निर्माण नवम्बर 2013 में पूरा किया गया जबकि सीओबी-5 (ब्लॉक 5ए और 5बी) का पुनर्निर्माण नवम्बर 2012 (30 महीनों के कार्यान्वयन अधिसूची के साथ) से पहले अनुमोदित नहीं किया गया था और सीओबी-4 का पुनर्निर्माण अभी भी आरंभ (फरवरी 2015) किया जाना है।

(घ) आईएसपी, बर्नपुर

सीओबी # 9क	जब से इसका पुनर्निर्माण हुआ है तब से इसे 22 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। इसे आगे मरम्मतों या पुनर्निर्माण, हेतु नहीं रखा जा सका क्योंकि अन्य बैटरी (सीओबी-8) की कोल्ड मरम्मतों का समापन लम्बित था। इसके परिणामस्वरूप इसकी संचालन हालत में और गिरावट हुई जब तक कि यह मार्च 2014 में पूर्णतः बंद नहीं कर दि गयी।
सीओबी # 8	कार्य योजना 2011 के अनुसार, सीओबीज की हालत और सीओबी 8 की ओवन पुशिंग में सुधार करने के लिए अप्रैल 2012 से 18 महीनों में हॉट मरम्मत पूरी की जाने की योजना थी। यद्यपि, उक्त मरम्मत अभी की जा रही थी (फरवरी 2015)।
सीओबी # 10	बोर्ड ने सीओबी-10 जिसे निर्धारित समापन से 11 महीनों के विलम्ब सहित 2010 में पूरा किया गया, के पुनर्निर्माण का अनुमोदन (2006) में किया था। विलम्ब का कारण ठेकेदार (एचएससीएल) के खराब निष्पादन जिसके कारण ठेका निरस्त हुआ; के अतिरिक्त सिविल कार्यों के अनुमानों, जो वास्तविक अनुमान से अधिक थे, में सलाहकार (एमईसीओएन) की विफलता थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बीएफ कोक की पर्याप्त और बिना रूके आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लघु अवधि लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी ने विशेष रूप से मरम्मत/पुनःनिर्माण हेतु अपेक्षित काम बंदियां में विलम्ब किया। समयबद्ध मरम्मत/पुनःनिर्माण के बिना सीओबीज के दीर्घकालीन और अति उपयोग के कारण अन्य संचालित सीओबीज के साथ-साथ इनकी हालत में भी गिरावट आई।

5.2.2.3 सीओबीज की खराब हालत का बीएफ कोक और गैण-उत्पादों के उत्पादन पर प्रभाव

सीओबीज से बीएफ कोक का उत्पादन खराब ओवन-पुशिंग (पैरा 2.1) के कारण कम था जिसके परिणामस्वरूप अनुप्रवाह संयंत्रों में इनपुटों की कम उपलब्धता हुई। अंतः तीन इस्पात संयंत्रों बीएसपी, बीएसएल और डीएसपी ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान बाजार (अंतर संयंत्र स्थानांतरण के अलावा) से 2.487 एमटी बीएफ कोक की खरीद की।

कोक ओवन गैस (सीओ गैस) का बनाना जो कि सीओबीज में कोयले के कार्बनीकरण के दौरान उत्पन्न हुआ एक गैण उत्पाद है, जो 2009-14 के दौरान निर्धारित वार्षिक नियमों से कम था। सीओ गैस की कम उपलब्धता के परिणामस्वरूप बीएसपी, बीएसएल, डीएसपी और आईएसपी की रॉलिंग मिलों में उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं किया गया और परिणामतः विक्रय योग्य इस्पात का 2.430 एमटी की उत्पादन हानि उठानी पड़ी।

इसके अतिरिक्त, सीओ गैस के कम उत्पादन के कारण 2009-13 के दौरान प्लेट मिल में सीओ गैस के विकल्प के रूप में 39,134 किलोलीटर भट्ठी तेल की खरीद पर बीएसपी ने ₹ 202.85 करोड़ का व्यय किया।

सीओ गैस के कम उत्पादन का अर्थ है कोयला रसायन जैसे अमोनियम सल्फेट, क्रूड टार और क्रूड बैंजोल, जो सीओबीज में कोयले के कार्बनीकरण के दौरान गौण-उत्पाद के रूप में उत्पादित होते हैं, का भी कम उत्पादन होना। ये गौण-उत्पाद कुछ प्रकमणों के बाद बाजार में विक्रय योग्य थे और कुछ मात्रा को अतिरिक्त रूप से उपयोग किया गया था। गौण-उत्पादों का उत्पादन निर्धारित वार्षिक नियमों की तुलना में सभी संयंत्रों में कम था। परिणामतः कंपनी 2009-10 से 2013-14 के दौरान ₹ 517.79 करोड़ के संभावित बाजार मूल्य वाले 64309 टन क्रूड टार, 77282 टन क्रूड बैंजोल/बैंजोल उत्पाद और 121897 टन अमोनियम सल्फेट का उत्पादन नहीं कर पाई।

5.2.2.4 बीएसएल और आईएसपी में हाल ही में निर्मित बैटरियों का निष्पादन

बीएसएल में पुनः निर्मित सीओबीज 5, 1 और 2 और आईएसपी में सीओबी 10 का निष्पादन उनके निश्चित निष्पादन मानदंडों से नीचे था जिसके कारण बीएफ कोक की उपलब्धता में कमी हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- (i) बीएसएल की सीओबीज-5, 1 और 2 को क्रमशः सितम्बर 2007, जून 2011 और फरवरी 2012 में पुनः निर्मित किया गया और कोकिंग समय और पुशिंग 16.9 घंटे और 98 ओवन प्रतिदिन क्रमशः के लिए मानदंड निश्चित किये गये। सीओबी-5 में 2007 में इसके पुनर्निर्माण के तुरंत बाद कमियों को देख लिया गया था। बैटरी 2007-08 से 2011-12 के दौरान 21.40 – 22.21 घंटों के बीच कोकिंग समय और 74 से 78 पुशिंग समय तक पहुँच गई थी। बाद में 2012-13 के दौरान इसका निष्पादन 58 ओवन पुशिंग तक घट गया। सितम्बर 2013 में हॉट काम्पलैक्स मरम्मत के बाद भी, मार्च 2014 तक इसकी पुशिंग 70 ओवन प्रतिदिन और कोकिंग समय 21.16 से 23.46 घंटों तक हो गया। 2011-12 से 2013-14 के दौरान, सीओबी-1 और 2, की प्रतिदिन की औसत 65-90 ओवन पुशिंग तक पहुँच गई और औसत कोकिंग समय 18 से 19 घंटे या अधिक तक हो गया।
- (ii) आईएसपी की सीओबी-10 को अगस्त 2010 में पुनः निर्मित किया गया और 104 पुशिंग प्रतिदिन और कोकिंग समय 18 घंटे परिकल्पित निष्पादन मानदंड थे। 2011-12 और 2013-14 के दौरान वास्तविक ओवन पुशिंग प्रतिदिन 83 से 91 की

रेंज के बीच थी और इसी अवधि के दौरान कोकिंग समय 20.4 घंटों से 22.5 घंटों के बीच था। ईसीसीएम ने विचार दिया (जनवरी 2012) कि एक नई आरंभ की गई बैटरी में ऐसे उच्च कोकिंग समय से न केवल कोक गुणवत्ता घटी बल्कि सीओबी की हालत को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

5.2.2.5 सीओबीज निष्पादन की चौकसी और निगरानी अपर्याप्त थी

यद्यपि कंपनी ने बैटरियों, कोक की भावी आवश्यकताओं, सीओबीज की हालत सुधारने के लिए कार्य योजना और ओवन पुशिंगों की स्थिति पर 29 नवम्बर 2011 को हुई 377वीं बोर्ड की बैठक में चर्चा की, वर्तमान संयंत्र स्तर चौकसी प्रबंधनों जैसे ईसीसीएम प्रभावहीन रही। मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए अपेक्षित समयबद्ध कामबंदी को विनिर्दिष्ट करते हुए सीओबीज की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए कोई दीर्घावधि योजना नहीं थी।

कंपनी ने अपने उत्तरों (फरवरी 2013) में स्वीकार किया कि बीएफ कोक और अन्य गौण-उत्पादों का उत्पादन कम होने के मुख्य कारण ओवन बैटरियों की खराब हालत के कारण कम ओवन पुशिंग थीं, और कुछ संयंत्रों में सीओबीज की कम कुल उपलब्धता मरम्मत के बिना उनकी दीर्घाकालीन संचालन के कारण उनकी मरम्मत की बंचिंग के कारण थी। इसके अतिरिक्त कंपनी ने कहा कि अपेक्षित मरम्मतों या पुनर्निर्माण के लिए सीओबीज के बंद होने से कोक की खरीद पर अधिक निर्भरता को बढ़ाते हुए कोक उत्पादन कम हो जाएगा। सीओबीज की हॉट/कोल्ड मरम्मतों और पुनर्निर्माण की योजना बीएफ कोक की लगातार और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई। मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2014) में कंपनी के विचारों को दोहराया है।

उत्तर केवल लेखापरीक्षा अवलोकन को और सुदृढ़ करता है कि कंपनी ने मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु सीओबीज को समयबद्ध रूप से बंद नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप दोषपूर्ण सीओबीज के संचालनात्मक निष्पादन में लगातार कमी आने के साथ-साथ अन्य सीओबीज की संचालन हालत भी प्रभावित हुई।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा विचारानुसार, ईसीसीएम द्वारा निर्धारित प्रतिमानों और योजनाबद्ध उत्पादन को सामान्य रूप से प्राप्त किया जा सकता था क्योंकि इन सीओबीज के निष्पादन प्रतिमान निर्धारित क्षमता से काफी कम थे और सीओबीज की उपलब्धता और इनकी वर्तमान संचालनात्मक हालत का आकलन करने के बाद निर्धारित किये गये थे। यद्यपि, कंपनी इन नियमों का पालन नहीं कर पाई जिसके कारण योजना के प्रति 2009-14 के दौरान

सीओबीज से 3.320 एमटी बीएफ कोक कम निकाला गया। इस कारण इसी अवधि के दौरान बीएसएल, बीएसपी और डीएसपी नामक तीन संयंत्रों में 2.487 एमटी बीएफ कोक (अंतर संयंत्र स्थानांतरण छोड़कर) की बाजार खरीद करनी पड़ी। सीओबीज की खराब हालत के कारण कम ओवन पुशिंगों के परिणामस्वरूप 2009-14 के दौरान 2.125 एमटीज बीएफ कोक का कम उत्पादन हुआ। बैटरियों की कम उपलब्धता अपेक्षित मरम्मतों के बिना दीर्घकालीन संचालनों के कारण बंचिंग की कारण भी थी। सीओबीज की मरम्मत/पुनर्निर्माण में विलम्ब ने अन्य बैटरियों की हालत पर गहरे प्रभाव डाले और बीएफ कोक की तत्कालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्धारित मरम्मत को टालने और दीर्घकालीन उपयोग के कारण इनकी स्थिति और खराब हो गई। सीओबीज की अच्छी संचालनात्मक हालत सुनिश्चित करने हेतु सभी इस्पात संयंत्रों में प्रभावी निगरानी तंत्र के साथ सीओबीज की मरम्मत और पुनर्निर्माण की एक दीर्घ-अवधि योजना की आवश्यकता है।

5.3 अंतरीय उत्पाद शुल्क पर ब्याज की वसूली न करना

एमओयू में उचित खंड के अभाव में भारतीय रेल को आपूर्ति की गई लंबी रेलों पर उत्पाद शुल्क की विलंबित अदायगी पर ₹ 61.94 करोड़ के ब्याज प्रभारों की वसूली सुनिश्चित करने में कंपनी विफल रही।

अपने भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) से लंबी रेलों/पैनलों की आपूर्ति हेतु भारतीय रेल (भा रे) के साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) ने एक समझौता ज्ञापन किया (2003)। एमओयू के अनुसार, अध्यक्ष, रेल बोर्ड; भा रे और कंपनी की संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति की सिफारिश पर अंतिम मूल्य का निर्णय करेंगे।

जनवरी 2005 से मार्च 2012 अवधि हेतु अभिलेखों की संवीक्षा से जात हुआ कि कंपनी ने 51.79 लाख टन रेलों की आपूर्ति हेतु ₹ 61.94 करोड़ ब्याज राशि सहित भारत सरकार को ₹ 353.99 करोड़ का अंतरीय उत्पाद शुल्क अदा किया है। कंपनी ने भा रे से अंतरीय उत्पाद शुल्क की वसूली की परंतु ब्याज प्रभारों की वसूली में निष्फल रही क्योंकि भा रे के साथ एमओयू में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि रेलों के निर्धारित मूल्य माल को भिजवाने के बाद 6 महीनों से 69 महीनों में भारतीय रेल द्वारा अनुमोदित किये गये। आपूर्ति के लिए निर्धारित किये गये अंतिम मूल्य प्रावधानित मूल्यों से या तो अधिक थे या कम थे। परिणामस्वरूप, कंपनी ने अंतरीय उत्पाद शुल्क और उस पर ब्याज अदा किया जबकि अंतिम रूप से अनुमोदित मूल्य

प्रावधानित मूल्यों से अधिक थे। 1 अप्रैल 2012 के बाद आपूर्त किये गये रेलों हेतु अंतिम मूल्य रेलवे बोर्ड (फरवरी 2015) द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये थे।

कंपनी ने भा रे के साथ जनवरी 2005 से दिसम्बर 2008 की अवधि हेतु ब्याज प्रभारों की वसूली या ₹ 30.77 करोड़ के ब्याज प्रभारों के अपने दावे को सुरक्षित करने के लिए एमओयू में कोई उचित शर्त जोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किये। बाद में कंपनी को अपनी गलती का अहसास हुआ और जुलाई 2010 से मार्च 2012 की अवधि हेतु ₹ 31.17 करोड़ के ब्याज की क्षतिपूर्ति करने के लिए भा रे को एक पत्र (मई 2014) लिखा जिसे बाद में यह कहते हुए नकार (जुलाई 2014) दिया कि वे ऐसे किसी ब्याज को अदा करने के जिम्मेदार नहीं हैं। निचली अदालत में केस हारने के बाद कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय (अक्टूबर 2010) में एसएलपी दाखिल की, उससे भी कंपनी को कोई राहत नहीं मिली।

रेल मूल्यों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के लिए भा रे को उत्तरदायी ठहराते हुए, कंपनी ने कहा (नवम्बर 2014) कि उन्होंने भा रे से अंतरीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त ब्याज की मांग की थी, मंत्रालय ने कंपनी के विचारों को दोहराया (फरवरी 2015)।

तथ्य यही है कि कंपनी भा रे द्वारा रेलों के मूल्य को अंतिम रूप दिये जाने में विलम्ब के कारण उत्पन्न हुये उत्पाद शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की वसूली सुनिश्चित करने के लिए भा रे के साथ एमओयू में उचित खंड को न जोड़ने से अपने वित्तीय ब्याज को सुरक्षित रखने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप कंपनी को ₹61.94 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

5.4 विद्युत प्रभारों की कम वसूली

कंपनी ने बोर्ड अनुमोदन का उल्लंघन करते हुए खान टाऊनशिप में कर्मचारियों को आपूर्ति की गई विद्युत हेतु राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबीज) से न्यूनतम घरेलू टैरिफ पर विद्युत प्रभार वसूल नहीं किये जिसके कारण कर्मचारियों को ₹30.32 करोड़ के लाभ प्राप्त हुए। कंपनी ने औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति लाईनें भी अलग-अलग नहीं की।

स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) संबंधित एसईबीज से विद्युत खरीदती है और वित्तीय सहायता प्राप्त दर पर खानों में कंपनी की टाऊनशिप में रहने वाले कर्मचारियों को आपूर्त करती है। एसईबीज से खरीदी गई विद्युत लागत (अर्थात् कंपनी की लागत) कर्मचारियों से वसूली गई राशि से काफी अधिक थी। विद्युत सब्सिडी को तर्क संगत करने

के उद्देश्य से, सेल ने निर्णय लिया (23 मार्च 2002) कि टाऊनशिप में कर्मचारियों को आपूर्ति विद्युत के लिए प्रभार योग्य दर 1 अप्रैल 2002 से लागू एसईबीज के घरेलू टैरिफ की न्यूनतम दर के समान होगी। लेखापरीक्षा ने 2008-09 से 2013-14 के लिए टाऊनशिप (नंदिनी और हिरी खानों को छोड़कर) वाली सभी खदानों* के अभिलेखों की समीक्षा की और पाया कि:

- (i) बरसुआ और काल्टा खदानों के खदान प्रबंधनों ने बोर्ड का निर्णय लागू किया। समय-समय पर कर्मचारियों से वसूली योग्य विद्युत प्रभार जो एसईबी द्वारा निर्धारित न्यूनतम घरेलू टैरिफ के बराबर या ज्यादा थे; को उन्होंने संशोधित किया। प्रभावी मार्च 2003 और अगस्त 2003, केआईओएम-एमआईओएम और बीओएम क्रमशः ने एसईबी के न्यूनतम घरेलू टैरिफ के अनुसार कार्यकारियों के विद्युत प्रभार संशोधित किये। संबंधित एसईबी द्वारा अपनी न्यूनतम घरेलू दरें बढ़ाने के बावजूद भी इनमें कोई वृद्धि नहीं की गई। यद्यपि, आठ खदानों ने बोर्ड का निर्णय लागू नहीं किया और कर्मचारियों से वसूले गये विद्युत प्रभार एसईबीज द्वारा निर्धारित न्यूनतम घरेलू टैरिफ से कम था। कर्मचारियों से मासिक रूप से निर्धारित की गई राशि प्रभारित की गई जो एसईबीज और/या विद्युत की वास्तविक खपत सहित पूर्वनिर्धारित इकाईयों से किसी संयोजन के बिना न्यूनतम घरेलू टैरिफ से कम थी। परिणामस्वरूप खदान कर्मचारियों को 2008-09 से 2013-14 के दौरान ₹ 30.32 करोड़ राशि का लाभ प्राप्त हुआ।
- (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए विद्युत उच्च हाईटेंशन वोल्टेज सेवाएं (एचटी कनेक्शन) उपलब्ध करवा गई और घरेलू खपत की प्रभारित की गई दर से अधिक दर पर प्रभारित की गई। राजहरा खदानों ने टाऊनशिप को विद्युत आपूर्ति के लिए घरेलू कनेक्शन से औद्योगिक कनेक्शन को अलग कर दिया। यद्यपि, अन्य खदानों में इन्हें अलग नहीं किया गया और वे औद्योगिक दर पर घरेलू उपयोग के लिए विद्युत प्रभारों की अदायगी करते रहे। इस संबंध में, अतिरिक्त व्यय की गई राशि घरेलू दर पर प्रभार योग्य दर के अभाव में परिणाम योग्य नहीं थीं।

2007 की सीएजी की प्रतिवेदन सं. 11 में यह रिपोर्ट दी गई कि सेल का उपर्युक्त निर्णय (2002) बोलनी मार्फ़न में कार्यान्वित नहीं किया गया। यद्यपि विद्युत प्रभार कार्यकारियों

* किरीबुरु आयरन और मार्फ़ज (केआईओएम); मेघाहटबुरु आयरन और मार्फ़ज (एमआईओएम); बोलनी और मार्फ़ज बीओएम); बरसुआ आयरन और मार्फ़ज(बीआईएम); काल्टा आयरन और मार्फ़ज (केआईएम); गुआ और मार्फ़ज (जीओएम); कुटेश्वर लाईमस्टेन मार्फ़ज (केटीआर); तुलसीदमार डोलामार्फ़ज मार्फ़ज (टीडीआर); चसनला कोयला खान; और राजहरा मार्फ़ज

के लिए 1 अगस्त 2003 से प्रभावी बोर्ड निर्णय के अनुसार संशोधित किये गये थे, इन्हें समय-समय पर संशोधित नहीं किया गया जब एसईबी ने इन दरों को बढ़ाया था। अगस्त 2008 में विगत संशोधन की पूर्व-निर्धारित दरों पर विद्युत प्रभार गैर-कार्यकारियों से वसूले जाते रहे।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2015) कि: (i) कार्यकारी कर्मचारियों के लिए विद्युत की वसूली दरों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कार्य आरंभ कर दिया गया ताकि सेल बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन किया जा सके, (ii) गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए विद्युत प्रभारों के संशोधन की प्रक्रिया को छ: महीनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, और (iii) कार्यात्मक मुश्किलों, औद्योगिक लाइनों से घरेलू खपत को अलग करना केआईओएम, एमआईओएम और जीओएम के मामले में व्यवहार्य नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर इन तथ्यों के प्रति देखा जा सकता है कि (i) लेखापरीक्षा द्वारा दिसम्बर 2014 में मंत्रालय द्वारा यह मामला इंगित करने के बाद, 5 अक्टूबर 2009 से पूर्वव्यापी प्रभाव सहित केवल बीओएम, केआईओएम, एमआईओएम, केटीआर और बीएनपी-टीडीआर खदानों के मामले में कार्यकारियों हेतु सेल प्रबंधन ने वसूली निदेश जारी किये, जबकि बोर्ड का निर्णय अप्रैल 2002 से प्रभावी था और कार्यकारी और गैर कार्यकारियों दोनों के लिए था। राजहरा खदान और चसनल्ला कोयला खदानों के मामले में ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, (ii) बिना किसी तकनीकी अध्ययन के केआईओएम, एमआईओएम और जीओएम के मामले में औद्योगिक लाइनों से घरेलू खपत को अलग करने में कार्यात्मक मुश्किलों को देखना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि औद्योगिक और घरेलू खपत के बीच लाइनों को अलग करना राजहरा खदान में संभव नहीं था जबकि यह बीआईएम और बीओएम टाऊनशिप में प्रगति अधीन है। शेष खदानों* में लाइनों को अलग करने पर उत्तर पूर्ण नहीं था।

इस प्रकार, सेल ने विद्युत की घरेलू खपत के लिए एसईबीज द्वारा न्यूनतम प्रभारित दर पर खदानों में टाऊनशिप में अपने कर्मचारियों को प्रभारित करने का मार्च 2002 का अपना निर्णय लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 2008-14 के दौरान अपने कर्मचारियों को ₹ 30.32 करोड़ की राशि का लाभ प्रदान किया।

* भवनतपुर -तुलसीदमार डोलामाईट मार्फ्ज (बीएनपी-टीडीआर), कुटेश्वर लाईमस्टोन मार्फ्ज (केटीआर), काल्टा आयरन और मार्फ्ज (केआईएम) और चसनल्ला कोयला-खदान

5.5 निधियों का अवरोधन

पुरानी बैटरी साईकलोन की प्रतिस्थापना हेतु सिंटर मशीनों को अपेक्षित और समय पर कामबंदी प्रदान करने के लिए प्रबंधन की विफलता के कारण जुलाई 2010 तक इलैक्ट्रो स्टेटिक अवक्षेपकों पर कार्य का निलम्बन किया गया जिसके परिणामस्वरूप साढ़े तीन वर्षों से अधिक तक ₹ 26.91 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ। बीएसएल भी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित नियत स्राव प्रतिमानों का पालन नहीं कर सकी।

स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल या कंपनी) के बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) में सिंटर संयंत्र में 3 सं. सिंटर मशीनें हैं। प्रत्येक मशीन विंड बाक्सिज, वैक्यूम चैम्बरज, विंड मेन डक्टस, 2 बैटरी साईकलोन और कंट्रोल डस्ट स्राव के 2 एग्जोस्ट फैनों से जुड़ी हैं। सिंटर मशीनों में छ: बैटरी साईकलोन अपना उपयोगी जीवन खत्म कर चुके थे और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित 150 एमजी/एनएम के वैधानिक प्रतिमान की अपेक्षा संयंत्र से डस्ट स्राव अधिक (250-280 एमजी/एनएम³) था। सेल ने इलैक्ट्रो स्टेटिक अवक्षेपकों (ईएसपीज) के साथ बैटरी साईकलोनों की प्रतिस्थापना 'सिद्धांत अनुसार' (जनवरी 2015) अनुमोदित की। कार्य के कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप देने में विलम्ब के बाद, संविदा को ₹ 75.16 करोड़ की कुल लागत पर तैयारशुदा आधार पर एक संकाय एम/एस एमन रिसर्च कोटरैल, यूएसए (संकाय अध्यक्ष) और एम/एस श्रीराम ईपीसी लिमिटेड (एसईपीसी), इंडिया (संकाय सदस्य) को सौंप दिया गया (अक्टूबर 2007)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निस्सरण स्तर में कुल कमी के बताये गये लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये क्योंकि केवल एक ईएसपी को ही अब तक प्रतिस्थापित किया गया, और शेष पाँच ईएसपीज को स्थापित करने की संविदा में बताये गये कामबंदी प्रबंध के प्रबंधन की विफलता के कारण साढ़े तीन वर्षों से अधिक समय तक ₹ 26.91 करोड़ अवरुद्ध रहा। विस्तृत अवलोकन इस प्रकार है:

- संविदा के अनुसार, कार्यान्वयन के कार्यक्रम में अपेक्षित है कि एक के बाद एक छ: ईएसपीज को स्थापित किया जाएगा। सिंटर मशीन 3 की पहली बैटरी साईकलोन सं. 6 अलगाव के बाद विघटित की जानी थी। नई ईएसपी-6 संबंधित डस्ट डिस्पोजल पद्धति और डक्टिंग के साथ इस बैटरी के स्थान पर ही स्थापित की जाएगी। इसके बाद, ईएसपी सिंटर मशीन सं. 3 के साथ जोड़ी जाएगी और आरंभ की जाएगी। एक इंजिनियर को विघटन और स्थापित गतिविधयों के लिए 5 महीनों की अधिकतम अवधि हेतु बंद किया जाएगा। सिंटर मशीन सं. 3 के

दूसरा बैटरी सार्फक्लोन को विघटित किया जाएगा और इएसपी के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, सिंटर मशीन सं. 2 और 1 के बैटरी सार्फक्लोनों को एक के बाद एक प्रतिस्थापित किया जाएगा। सिंटर द्वारा बिना रुके भट्ठियों को चलाया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सिंटर मशीन की कामबंदी चरणों में की जाएगी। संविदा ने दर्शाया कि एम/एस एचआरसी संकाय को प्रत्येक मशीन के लिए प्रत्येक सार्फक्लोन के निर्माण और स्थापना और इएसपी को अपने स्थान पर आरंभ करने के लिए 5 महीनों की कामबंदी (एक सप्ताह कामबंदी से पहले और एक सप्ताह कामबंदी के बाद सहित) की आवश्यकता होगी।

- परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुसार, इएसपी-6 की पहली कामबंदी अप्रैल 2008 में की जानी थी। यद्यपि, बीएसएल ने जनवरी 2010 में पहली कामबंदी प्रदान करने के लिए 21 महीनों का समय लिया। ठेकेदार द्वारा प्रारंभिक कार्यों में विलम्ब के अतिरिक्त, बीएसएल द्वारा काफी अधिक विलम्ब किया गया क्योंकि कार्य के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन था; और ठेकेदार द्वारा कामबंदी से पहले कुछ 'आफ - ईएसपी' सार्फ (संविदा समझौते से बाहर) कार्य करने थे जिन्हें मुख्य इएसपी निर्माण कार्य के साथ किया जा सकता था। इएसपी-6 को स्थापित उपयोग करने के बाद और ₹ 11.41 करोड़ की लागत लगाने (जून 2010) के बाद बीएसएल ने सिंटर उत्पादन में कमी की दलील पर अन्य पाँच इएसपीज को प्रतिस्थापित करने के लिए कामबंदी नहीं कराई। बीएसएल ने नई इएसपी-1 का स्थान भी बदल दिया जो ठेके में उल्लिखित नहीं था, जिसकी वजह से अन्य इसीपीज के स्थानों में आवश्यक परिवर्तन और भावी लागत व समय में बदलाव जरूरी हो गया।
- इसी बीच ₹ 26.91 करोड़ की बकाया राशि शेष इएसपीज को लगाने हेतु परियोजना सार्फ पर आदमियों, सामग्री और लाई गई मशीनों के लिए ठेकेदार को अदा (जुलाई 2011 तक) की गई, जो पिछले साढ़े तीन वर्षों (जुलाई 2011 से फरवरी 2015) से अधिक के लिए अवरुद्ध थी। जून 2010 से निष्क्रिय रहे आदमियों और मशीनों के कारण, ठेकेदार ने जनवरी 2011 में सार्फ से हटने का निर्णय लिया और एक मध्यस्थता नोटिस जारी किया जिसे रोक दिया गया। दो वर्षों के विलम्ब के बाद, बीएसएल ने ईएसपी-5 की स्थापना के लिए जून 2013 से प्रभावी कामबंदी करने का निर्णय (मई 2013) लिया। इस कामबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इएसपी के स्थान संशोधित हो चुके थे।

- यह देखा गया कि सीपीसीबी (जुलाई 2011) ने सिंटर संयंत्रों के साथ स्थापित किये गये वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों में कमी उजागर की और नीयत निस्सरण प्रतिमानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए इएसपी को आरंभ करने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत बीएसएल को निर्देश जारी किये। उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन में बीएसएल के विफल रहने पर, सीपीसीबी ने न केवल ₹ 50 लाख की (जनवरी 2014) की बैंक गरंटी जब्त कर ली जबकि ₹ 50 लाख की और बैंक गरंटी की भी मांग (अगस्त 2014) की। सीपीसीबी ने यह भी पाया (दिसम्बर 2014) कि सिंटर संयंत्र पर इएसपीज के संबंध में कार्य की प्रगति काफी असंतोषजनक थी और बीएसएल को अगस्त 2015 तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिये गये।
- कंपनी ने कहा कि (i) इएसपी का स्थान उत्पादन आवश्यकताओं के कारण बदला गया था, और (ii) शेष इएसपीज के लिए कामबंदी नहीं कराई जा सकी क्योंकि ठेकेदार इएसपी-6 की त्रुटियों को निर्धारित नहीं कर पाया, उन्होंने 50 एमजी/एनएम³ का डस्ट कांटेंट प्राप्ति को साबित करने के लिए इएसपी-6 पर निष्पादन गारंटी मानदंड लागू नहीं किये और प्रबंधन इएसपी के लिए कामबंदी करके सिंटर उत्पादन को जोखिम नहीं ले सकते थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि (i) इएसपीज के कार्य का कार्यक्षेत्र और स्थान पहले ही निर्धारित किये जाने थे और न कि ठेका देने के बाद (ii) नई इएसपी-6 को 17 जून 2010 से बिना रुके संचालित किया जा रहा था और न केवल सीपीसीबी के 150 एमजी/एनएम³ की स्टैक निस्सरण प्रतिमानों का पालन किया बल्कि धीरे-धीरे 50 एनजी/एनएम³ के गारंटी निस्सरण मानदण्ड तक भी पहुंच गई। यह टर्नकी ठेका था और छ: इएसपीज की प्रतिस्थापना का क्रम और अपेक्षित कामबंदी ठेके में निर्धारित की गई थी। अंतः: मौजूदा इकाई की कामबंदी कार्य को क्रमानुसार करने के लिए ठेके की आवश्यकता थी। बीएसएल के परियोजना विभाजन ने भी शेष पाँच इएसपीज को पूरा करने के लिए उपयोगकर्ता विभाग से कामबंदी की मांग की जिसे उत्पादन में बाधा के रूप में मानते हुए स्वीकार नहीं किया गया। उत्पाद में गिरावट से बचने के लिए कामबंदी में बिलम्ब न केवल ठेकेदारी प्रावधानों के विरुद्ध था बल्कि यह इस निवेश से सभी छ: बैटरी साइक्लोन में डस्ट स्राव स्तर प्राप्त करने के निर्धारित लक्ष्यों अर्थात् 250-280 एमजी/एनएम³ से 150 एमजी/एनएम³ से कम, को प्राप्त न करने का कारण भी था।

इस प्रकार, सिंटर मशीनों को अपेक्षित और समय पर कामबंदी में बीएसएल की विफलता न केवल सीपीसीबीज निस्सरण प्रतिमानों के उल्लंघन का कारण बनी बल्कि साढ़े तीन वर्षों से अधिक के लिए ₹ 26.91 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

जनवरी 2015 में मंत्रालय को यह मामला सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2015) है।

5.6 आईएसपी/सेल में परिहार्य व्यय

बॉयलर में एक विस्फोट जो ठेके के डिजाइन मानदंडों और उपस्कर आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित बॉयलर संचालन के लिए परामर्श की अननुपालना के कारण हुआ; के बाद मुख्य मरम्मत पर ₹ 26.40 करोड़ का परिहार्य व्यय कम्पनी को करना पड़ा।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (कंपनी) का इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी) ने पावर और ब्लोईंग स्टेशन जिसमें प्रत्येक तीन बायलरों की 200 टन प्रतिघंटा क्षमता शामिल है, की स्थापना के लिए अक्तूबर 2007 में भारत हेवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) को एक ठेका दिया। ठेका समझौते के खंड 01.02.01 के अनुसार बायलरों को ब्लास्ट भट्ठी (बीएफ) गैस, बेसिक ऑक्सीजन भट्ठी (बीओएफ) गैस, कोक ओवन (सीओ) गैस और मुख्य ईंधन के रूप में कोल बैड मिथेन (सीबीएम) आग लाने के लिए डिजाइन किया गया था। लाईट डिजल ऑयल (एलडीओ) 10 प्रतिशत दर क्षमता से आरंभिक रूप से शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता था।

बीएफ और बीओएफ से गैस बीएफ और बीओएफ परियोजनाओं की पूर्णता में विलम्ब के कारण उपलब्ध नहीं थी। कोक ओवन बैटरी-11 तैयार थी और बॉयलरों से भाप की आपूर्ति पूर्व-आरंभ गतिविधियों के लिए एक तकनीकी आवश्यकता थी। बॉयलर भी तैयार थे। बॉयलरों के डिजाइन मानदंडों का ध्यान रखते हुए, भेल और आईएसपी प्रबंधन ने 15 फरवरी 2012 को हुई बैठक में परस्पर सहमत हुए कि बॉयलर केवल एलडीओ पर लगातार नहीं चलेंगे, बॉयलर कोक ओवन बैटरी के पहले चैबर की चार्जिंग के लिए अधिकतम 7 दिनों तक लगातार; और 15 से 30 दिनों के अंतराल के बाद, इसके अतिरिक्त दूसरे चैबर की चार्जिंग के लिए अधिकतम 7 दिनों के लिए एलडीओ पर चलेंगे। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, आईएसपी प्रबंधन के मानव जीवन और उपस्कर के जोखिम सुरक्षा डिजाइन मानदंडों को नहीं मानते और भेल से बॉयलर संचालन निर्देशों पर बार-बार दी गई पूर्व चेतावनियों और सलाहों की अनदेखी के परिणामस्वरूप एक बॉयलर में एक विस्फोट हो गया।

आईएसपी प्रबन्धन की विशेष मांग पर, भेल ने 5 दिसम्बर 2012 से 14 दिनों के लिए लगातार बॉयलर-3 को चलाने की अनुमति एक शर्त के साथ दी कि बाद की तिथि पर निष्पादन मानदंडों में किसी भी गिरावट के लिए केवल कंपनी ही जिम्मेदार होगी। यह शर्त संविदा के खंड 26.2 के अनुसार थी जो दर्शाती है कि 'किसी पूर्ण या आंशिक रूप से पूर्ण कार्य के उपयोग पर नियोक्ता का स्वामित्व या उपयोग करने का अधिकार होगा। ऐसा स्वामित्व या उपयोग संविदा के अनुसार किसी न किये गये कार्य की स्वीकृति नहीं समझी जाएगी। यद्यपि, ऐसे प्रावधान या उपयोग का केवल ऐसे कार्य का कोई नुकसान नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी।' 21 दिसम्बर 2012 को आईएसपी प्रबन्धन को भेल ने याद दिलाया कि बॉयलर केवल एलडीओ पर नहीं चल सकते और अन्य ईंधन लाईनों अर्थात् बीएफ और बीओएफ गैस की शीघ्र पूर्णता के लिए आईएसपी प्रबन्धन को सलाह दी।

बॉयलर -3 को 10 जनवरी 2013 को दोबारा आरंभ किया गया और 24 जनवरी 2013 को बॉयलर में एक छोटा विस्फोट हुआ क्योंकि केवल एलडीओ के साथ बॉयलर को दीर्घकालीन समय तक चलाने से ईंधन भार निर्माण और विस्थापन के कारण दूसरा विस्फोट हुआ। मरम्मत के बाद भेल विशेषज्ञ ने बॉयलर की 3-4 दिनों की कामबंदी सहित आंतरिक सफाई और धुलाई के लिए प्रत्येक 10 दिनों की कुछ अतिरिक्त अनुवृद्धियां बॉयलर के पुनःप्रचालन के बाद 4 फरवरी 2013 को दोबारा आरंभ किया गया और यह एलडीओ के साथ लगातार चल रही थी और वाल्वों की अवरोधन/बिना जले हुए एलडीओ का विस्थापन भी देखा गया। यद्यपि, कंपनी ने उसको साफ करने के लिए भेल द्वारा 3 मार्च 2013 को कामबंदी के अनुरोध को नहीं माना और 37 दिनों तक लगातार चलाने के बाद, 12 मार्च 2013 को एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसके कारण बॉयलर-3 खराब हो गया।

भेल ने ठेके के खंड 26.2 के प्रावधानों को देखते हुए बिना किसी अतिरिक्त लागत के बॉयलर की मरम्मत करने के लिए मना कर दिया। बीमाकर्ता ने भी बॉयलर के संचालन में लापरवाही देखते हुए बीमा दावों* को दोबारा निरस्त कर दिया। अंतः कंपनी ने कर और शुल्कों सहित ₹ 26.40 करोड़ की कुल लागत पर बॉयलर की मरम्मत के लिए भेल को एक ठेका दे दिया।

बॉयलर को चलाने में लापरवाही को मना करते हुए, कंपनी ने कहा (नवम्बर 2014) कि बॉयलर विस्फोट की घटना केवल एक दृष्टटना थी और बॉयलर का चलाने के लिए

* भेल द्वारा ली गई बीमा नीति

अपेक्षित सभी तकनीकी मानदंडों को पूरी तरह ध्यान में रखा गया था। बीमाकर्ता के साथ एम/एम भेल और आईएसपी द्वारा दावे के निपटान पर चर्चा प्रक्रियाधीन है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भेल और बीमाकर्ता ने बॉयलर के संचालन में आईएसपी द्वारा विनिर्मित निर्देशों का उल्लंघन देखा जिसे विस्फोट का कारण पाया गया।

भेल ने आईएसपी को सूचित (मई 2014) किया कि बीमाकर्ता ने कारणों जो कि भेल द्वारा न तो आरोप्य या न ही समर्थनीय था; को देखते हुए दावों को निरस्त कर दिया। बीमा दावा (फरवरी 2015) के प्रति किसी राशि की वसूली नहीं हुई।

यह देखा गया कि कंपनी ने विनिर्माता सिफारिशों का उल्लंघन करते हुए बॉयलर संचालित किया जिसके परिणामस्वरूप बॉयलर में विस्फोट हुआ। परिणामतः कंपनी को खराब बॉयलर के पुनर्स्थापन पर ₹ 26.40 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

नवम्बर 2014 में मामला मंत्रालय को सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2015) है।